प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है ।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष में राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखा तथा विनियोग लेखा की जाँच से उठे मामलों पर लेखापरीक्षा टिप्पणी शामिल है । जहाँ आवश्यक हुआ, बिहार सरकार से सूचना प्राप्त किया गया है ।

3. वित्तीय प्रतिवेदन पर अध्याय III चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियम, प्रक्रिया एवं निदेशों के प्रति राज्य सरकार के अनुपालन का विहंगावलोकन तथा स्थिति प्रस्तुत करता है ।

4. निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा अवलोकन को शामिल करने वाले प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियों पर अवलोकन को समाहित करने वाले प्रतिवेदन को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।